शरीअत में ज़रूरत व हाजत की छूट और उसकी हदें

इस्लामी शरीअत का दायरा किसी ख़ास ज़माने या क़ौम व मुल्क तक महदूद नहीं है, बल्कि क़यामत तक आनेवाले सारे मुसलमानों के लिए इस्लामी शरीअत पर अमल करना वाजिब (लाज़मी) है। इस्लामी शरीअत जिस तरह उन देशों के लिए है जिनकी हुकूमत मुसलमानों के हाथ में है, उसी तरह उन देशों के मुसलमानों पर भी लागू होती है, जिन्हें ग़ैर-मुस्लिम देश कहा जाता है।

मौजूदा ज़माने में सरकार का कार्य क्षेत्र (दायरा अमल) जीवन के अधिकतर मामलों तक फैल गया है और जीवन के हर क्षेत्र में सरकार अपना अमल-दखल क़ायम करना उसके लिए क़ानून बनाना और उसकी निगरानी करना अपने लिए ज़रूरी समझती है जिसकी वजह से ग़ैर-मुस्लिम देशों में रहनेवाले मुसलमानों के लिए खास तौर से बहुतसी कठिनाईयाँ पैदा हो गयी हैं। मुसलमानों के लिए बहुत सारे मामलों में हुकूमत के क़ानून की वजह से इस्लामी अहकामात पर अमल करना मुश्किल हो गया है।

इन हालात में इस बात की ज़रूरत है कि इस तरह की समस्याओं का हल निकालने के लिए शरीअत के उन उसूलों की रोशनी में चिंतन मनन (ग़ौर व फ़िक्र) किया जाए जो किसी रुकावट (रफ़ा-ए-हरज) को दूर करने (दफ़ा-ए-ज़रर) किसी नुक़सान से बचने और (ज़रूरत व इज़तरार) मजबूरी की हालत में विशेष अहकामात की व्यवस्था के तहत बने हैं।

इस मामले पर फ़िक्ह अकेडमी के सातवें सेमिनार में विचार–विमर्श हुआ। यह सेमिनार 30 दिसम्बर 1994 ई0 से -2 जनवरी 1995 ई0 (26-29 रजब 1515 हिजरी) को माटलीवाला भरूच गुजरात में आयोजित हुआ। सेमिनार मे निम्निलिखित प्रस्ताव पारित हुएः

पहली बात

1- बुनियादी तौर पर पांच ज़रूरतें ऐसी हैं जिन्हें पूरा करना शरीअत का मक़सद व मंशा हैंः दीन, जीवन (जान और इज़्ज़त), नस्ल, अक़्ल और माल की हिफ़ाज़त। इन चीज़ों की हिफ़ाज़त के लिए जो काम इतने आवश्यक हो जाएं कि उनके न होने से शरीअत के इन उद्देश्यों के लिए ख़तरा पैदा हो जाए, वे काम ज़रूरत हैं। ज़रूरत फ़िक्ह का एक पारिभाषिक शब्द है, जिसमें इज़तिरार (मजबूरी की हालत) भी शामिल है, लेकिन ज़रूरत एक व्यापक शब्द है और इसका अर्थ इजतिरार से ज़्यादा व्यापक (वसीअ) है।

2- हाजत ऐसी अवस्था है जिसमें आदमी इन पांच उद्देश्यों को पूरा करने में इस तरह की कठिनाइयों और रुकावटों से दो–चार हो जाए जिनसे उसे बचाना भी शरीअत का मक़सद है। धर्मशास्त्रियों (फ़ुक़हा) के नज़दीक कभी ज़रूरत हाजत पर और कभी हाजत पर ज़रूरत के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं।

3- ज़रूरत और हाजत दोनों का सम्बन्ध मूल रूप से मशक़्क़त (कठिनाईकठोरता) से है। मशक़्क़त का एक दर्जा वह है जो शरीअत के तमाम आदेशों में लागू होता है। हालात के बदलाव से उनपर कोई फ़र्क़ नहीं

पड़ता। और कभी मशक्क़त इस हद तक बढ जाती है कि उसकी अनदेखी की जाए तो बड़े नुक़सान (शदीद ज़रर) से दो–चार होने का यक़ीन या बहुत.ज्यादा सम्भावना हो तो यह ज़रूरत है। कभी इससे कम दर्जे की मशक्क़त भी होती है लेकिन शरीअत ने जिस तरह की मशक्क़तों का इनसान को पाबन्द किया है उसके मुक़ाबले में वह ग़ैरमामूली (आसाधारण) होती है, यह हालत हाजत है इस तरह ज़रूरत और हाजत के बीच असल फ़र्क़ मशक्क़त की कमी और.ज्यादती का है।

4- ज़रूरत और हाजत के अहकाम (शरई आदेश) में भी फ़िक्ह के आलिमों ने फ़र्क़ किया है जिसका मतलब यह है कि ज़रूरत के हुक्म में क़ुरआन व सुन्नत के ऐसे वाज़ेह आदेश (मन्सूस अहकाम) से भी अपवाद (इस्तस्ना) की गुंजाईश होती है, जिनकी स्थायी रूप से मनाही (मुमानिअत) हो जबकि हाजत का मामला यह है कि अगर वह सामान्य प्रकार की न हो तो उसके तहत उन्ही आदेशों में अपवाद की गुंजाइश होती है जो स्थायी रूप से हराम न हो, बल्कि दूसरे हराम कामों से बचने के लिए उनसे मना किया जाता हो।

5- हाजत अगर सामान्य प्रकार की हो और लोग आमतौर से उसमें से गिरफ़तार (फंसे) हों तो यह ज़रूरत के दर्जे में आ जाती है और इससे मन्सूस अहकाम में अपवाद की गुंजाइश हो जाती है।

6- ज़रूरत व हाजत की बुनियाद मशक्क़त पर है और मशक्क़त एक अतिरिक्त चीज़ है, इसलिए ज़रूरत व हाजत के निर्धारण में स्थान, क्षेत्र, हालात, लोगों की सहनशक्ति, मुस्लिम बहुल देशों और मुस्लिम अल्पसंख्या वाले देशों के लिहाज़ से अहकाम में फ़र्क़ हो सकता है इस लिए भारत और इस जैसे अन्य देशों में जहां मुसलमान इस हालत में नहीं हैं कि संविधान निमार्ण (क़ानून साज़ी) में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हों, ज़रूरत व हाजत के निर्धारण में इस पहलू को ध्यान में रखना ज़रूरी है।

7- किसी मामले में यह तय करना कि वह मौजूदा हालात में ज़रूरत या हाजत का दर्जा रखता है, एक बहुत नाज़ुक, गम्भीर और अहतियात के साथ ध्यान रखने की माँग करता है। इसलिए हर ज़माने के आलिमों और मुफ्तियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने ज़माने के हालात को सामने रखकर यह तय करें कि अब कौन से मामले ज़रूरत या हाजत के दर्जे में आ गए हैं और उनकी वजह से अहकामात में क्या बदलाव हो सकता है। यह भी ज़रूरी है कि ऐसे नाज़ुक मामलों में व्यक्तिगत रूप से राय बनाने के बजाए उलमा की एक साहबे असर जमाअत ही फैसला करें ताकि दीन के मामलें में अराजकता न फैले।

8- अगर किसी निषेध बात की किसी ख़ास परिस्थिति को तर्क के आधार पर हराम के दायरे से अलग (मुस्तस्ना) कर दिया गया हो तो इस स्थिति में निषेधता (हुरमत) बाक़ी नहीं रहती है और इस विकल्प से फ़ायदा उठाना वाजिब हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिन हालात में प्रत्येक्ष निर्देशों के ज़रिए या फ़िक्ह के आलिमों द्वारा इजतिहाद (के माध्यम से) छूट और सहूलत साबित होती है, वहां केवल मामला गुनाह से मुक्त माना जाता है।

9- ज़रूरत और हाजत के आधार पर जो सहूलत मिलती है वह उसूली रूप से एक अपवाद होती है।

दूसरा पहलू

ज़रूरत के आधार पर किसी मामले को जाइज़ क़रार देने का निर्देश हत्या और बलात्कार जैसे बिल्कुल

हराम कामों के अलावा फ़िक्ह के तमाम निर्देशों के लिए प्रभावी होगा और इस प्रभाव की सीमाएं निम्नलिखित व्याख्या के अनुसार होंगी।

1- निर्देश अगर स्पष्ट आदेश के रूप में हो और उनकी उपेक्षा से केवल शरीअतदाता (अल्लाह) का हक प्रभावित होता हो, जैसे कुफ्र की बात मुंह से निकालना, तो यह बात हराम (निषेध) होते हुए भी इज़्तरार (अत्यन्त मजबूरी) की स्थिति में केवल ज़बान से कहने की अनुमति होगी यानि इसकी निषेधता बाक़ी रहेगी, लेकिन गुनाह नहीं होगा।

2- अगर निर्देश निषेघाज्ञा (नकारात्मक आदेश) के रूप में हो और उसका उल्लंघन करने से केवल शरीअतदाता का हक़ प्रभावित होता हो जैसे मुर्दार व सुअर का गोश्त खाना और शराब पीना आदि तो इज़्तरार (अत्यन्त मजबूरी) की स्थिति में ये चीज़ें जाइज़ भी हो जाएंगी और उनका गुनाह भी नहीं होगा।

3- अगर निर्देश नकारात्मक आदेश के रूप में हो और उसका उल्लंघन करने से बन्दे का हक प्रभावित होता हो, जैसे हत्या, बलात्कार, मुसलमान का माल मारना आदि तो इसमें दो प्रावधान है :

(अ) अगर उसकी तलाफी (पश्चाताप) मुमकिन हो, यानि उसे लौटाया जा सकता हो, जैसे मुसलमान के माल का नुक़सान करना, तो इज़्तरार की स्थिति में इसकी गुंजाइश होगी, लेकिन निषेधता बाक़ी रहेगी।

(ब) अगर तलाफी मुमकिन न हो, यानि उसे लौटाया न जा सकता हो, जैसे हत्या करना या बलात्कार करना तो इसकी गुंजाइश किसी भी स्थिति में न होगी और ऐसा करना हर हाल में हराम होगा।

तीसरा पहलू

कुछ परिस्तिथियों में निषेध कामों के जायज़ हो जाने मे कभी कभी ज़रूरत की तरह हाजत भी प्रभावी होती है और कुछ स्थितियों में हाजत को ज़रूरत का दर्जा मिल जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ सीमाएं है जिनका ख़्याल रखना ज़रूरी है।

(अ) हाजत के समय निषेध कामों को जाइज़ ठहराने का मक़सद मज़र्रत (नुकसान) से बचना हो, फ़ायदा उठाना न हो। केवल फ़ायदा हासिल करने के मक़सद से किसी निषेध (हराम) काम की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

(ब) हाजत के आधार पर ऐसा करने से ऐसी कठिनाई दूर करना दरकार हो जो असहनशील है और उस तरह की नहीं है जो सामान्य रूप से आदमी को अपने कामों और शरीअत के निर्देशों को पूरा करने मे पेश आती है।

(स) मक़सद को पूरा करने के लिए पहले से कोई जाइज़ विकल्प मौजूद न हो, या मौजूद हो मगर असहनशील कठिनाई से खाली न हो।

(द) हाजत के आधार पर जो निर्देश लागू होगा वह मूल हाजत की सीमा तक ही होगा, उसका दायरा बढाने या व्यापक रूप में उससे फ़ायदा उठानें की अनुमति न होगी।

(च) किसी नुकसान से बचने में कोई दूसरा बडा नुकसान निश्चित रूप से सामने न आए।

(छ) हाजत वास्तविक हो, केवल काल्पनिक न हो।

चौथा पहलू

ऐबाहत-ए-महजूरात (अवैध को वैध करने) के सिलसिले में ज़रूरत को साबित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है।

1- ज़रूरत व्यवहारिक रूप में मौजूद हो, भविष्य में होनेवाली ज़रूरतों का ख़तरा और आदेश मोतबर नहीं।

2- पहले से जाइज़ कोई विकल्प मौजूद न हो।

3- नुक़सान या जान का ख़तरा निश्चित हो, या उसकी निश्चित सम्भावना हो।

4- निषेध या अवैध कामों पर अमल करने से बडे नुक़सान से बचना निश्चित रूप से तय हो और ऐसा न करने में नुक़सान उठाने की पूरी सम्भावना हो।

5- केवल आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया जाय।

6- इसपर अमल उसके समान या उससे अधिक नुक़सान या बिगाड़ का कारण न बने।

पांचवा पहलू

1- ज़रूरत व हाजत, जिसकी वजह से शरीअत बहुत से मामलों में छूट देती है इसके पीछे विभिन्न कारण होते हैं। इन कारणों को फ़िक़्ह की इस्तलाह (परिभाषा) में असबाब-ए-रूख़्सत (ढील के कारण) कहा जाता है। मुख्य रूप से ये सात कारण हैं - सफ़र, बीमारी, ज़बरदस्ती, भूल, अज्ञानता, तंगी, फ़साद (बलवा) और नुक़सान।

2- जन फ़साद (बलवा) की स्थिति में लागू होने वाले हुकमों में अधिकतर ज़रूरत व हाजत और रफ़ा-ए-हरज (रुकावट दूर करना) पर ध्यान दिया जाता है। यद्यपि फ़िक़्ह में फ़साद (उर्फ़ व उमूम-ए-बलवा) की स्थिति में लागू होनेवाले निर्देशों का दायरा व्यापक है।

छटा पहलू

1- सेमिनार मे शरीक सभी उलेमा व विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि किसी मामले में आम तंगी व रूकावट उत्पन्न होने और जन आवश्यकता की स्थिति में कभी कभी उसे ज़रूरत व इज़तरार की श्रेणी में रख दिया जाता है और समाज या आम जनता को असाधारण नुक़सान व तंगी का सामना होने की स्थिति मे निषेध व अवैध चीज़ें जाइज़ हो जाती हैं।

2- जिन चीज़ों का अवैध होना प्रत्यक्ष और प्रमाणित निर्देशों (नुसूस) से साबित है अगर उनमें से किसी के बारे मे आम ज़रूरत या आम तंगी व रुकावट पैदा हो तो उन्हें ज़रूरत की श्रेणी में लाकर वैध साबित करना बहुत ज़िम्मेदारी का और नाज़ुक काम है। सारी ही स्थितियाँ और हाजतें एक जैसी नहीं होतीं, उनकी सीमाएं और अनिवार्यता की स्थिति अलग अलग होती है इसलिए आम ज़रूरत का शरई निर्देश निर्धारित करने से पहले उनमें से हर एक का गहन अध्ययन ज़रूरी है।

3- जब कोई सामूहिक आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण हो जाए कि उससे लोगों का बचना बहुत कठिन हो और उसका कोई जाइज़ विकल्प मौजूद न हो या क़ानूनी मजबूरी की वजह से उसे न अपनाया जा

सकता हो तो उसके आधार पर, प्रत्यक्ष रूप से निषेध होने के बावजूद जब तक यह आवश्यकता रहेगी जाइज़ हो जाने की गुंजाइश होती है।

4- किसी सामूहिक आवश्यकता के बारे में इस तरह का फ़ैसला करने से पहले गहराई के साथ उसकी समीक्षा करना ज़रूरी है। इस समीक्षा में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की मदद ली जाए। हाजत जिस क्षेत्र से सम्बन्धित हो उसके जानकार लोगों से ज़रूरी बातें जानने के बाद शरीअत के उद्देश्यों और आदेशों पर नज़र रखनेवाले नेक और सत्यनिष्ठ विद्वान हो इस बात का फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन सी सामूहिक आवश्यकता इस हद को पहुंच गई है कि उसकी उपेक्षा करने से तत्काल या भविष्य में मिल्लत को असाधारण नुक़सान का .ख़तरा है, इसलिए उसे वैध किया जा सकता है।

5- जिन मामलों मे सामूहिक आवश्यकता के आधार पर प्रत्यक्ष निर्देश (नुसूस) में कमी या छूट पर विचार होना है उनका फ़ैसला आलिम और मुफ़्ती (धर्मशास्त्रि) व्यक्तिगत रूप से न करें, बल्कि सामूहिक विचार विमर्श, समीक्षा और चिंतन के बाद शरीअत के उद्देश्यों, निर्देशों और फ़िक़्ह के सिद्वांतों की रोशनी में आपसी सलाह व मश्विरे से इसका फ़ैसला करें।

☆☆☆

नोटः मुरादाबाद के मुफ़्ती शब्बीर अहमद साहब इस बात से सहमत नहीं हैं कि आम ज़रूरत की स्थिति में मनसूस अहकाम (प्रत्यक्ष निर्देशों) मे बदलाव की कोई गुंजाइश हो सकती है।